Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001
FAX : 011-23364197
E-mail : mplads@nic.in

सत्यमेव जयते

फाइल सं. सी-42/07/2013-एमपीलैड्स

Dated 07.01.2015

सेवा में

1. आयुक्त,
   कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः सरकारी अस्पतालों/चिकित्सालयों के लिए उपकरणों की खरीद ।

महोदय,

मंत्रालय में संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें वर्तमान सरकारी अस्पतालों में एमपीलैड्स के अंतर्गत चिकित्सा उपकरणों की खरीद तथा संस्थापना के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है ।

2. दिनांक 03.07.2013 के परिपत्र सं. सी-42/16/2011 के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि सरकारी अस्पतालों तथा शिक्षण संस्थाओं के निर्माणार्थ आवश्यक रूप से पूंजीगत कार्यों के लिए एक नए प्रस्ताव में सचल मदों (फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि) पर प्रस्ताव की कुल लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक संबद्ध व्यय की अनुमति प्रदान की जाए; तथापि फर्नीचर, उपस्कर, इत्यादि जैसी सचल मदें मौजूदा सरकारी अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं के लिए अनुमत्य नहीं होगी ।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 23.08.2013 के परिपत्र सं. सी-42/16/2011-एमपीलैड्स के तहत माध्यमिक स्कूलों के स्तर तक मौजूदा स्कूलों के लिए फर्नीचर की अनुमति कतिपय शर्तों/सुरक्षोपायों के साथ प्रदान की गई थी ।

4. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुबंध II में, जिसके अंतर्गत एमपीलैड्स के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है, मद संख्या 8 पर, 'चल मदों संबंधी परियोजना उन्हें छोड़कर जैसा कि अनुबंध II क में उल्लिखित है' निषिद्ध है और, अनुबंध II क के अतर्गत सरकारी अस्पतालों के लिए फर्नीचर, उपस्करों आदि जैसी सचल मदों (एंबुलेंसों/शव वाहनों तथा वन्यजीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में बीमार/घायल पशुओं के लिए एंबुलेंसों को छोड़कर) के लिए विशेष रूप से इस बात का उल्लेख अथवा अनुमति प्रदान नहीं की गई है ।

5. अनुबंध IV-इ में, जिसके अंतर्गत दिशानिर्देशों में उल्लिखित प्रावधानों के अध्यधीन उद्धरणात्मक कार्यों के क्षेत्र-वार प्रकार का वर्णन किया गया है, मद संख्या IV 2 पर सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए चिकित्सा उपकरण की खरीद का उल्लेख किया गया है ।

6. यह देखा जा सकता है कि दिनांक 03.07.2013 के परिपत्र का उद्देश्य किसी सरकारी अस्पताल के नए प्रस्ताव में कुल लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक फर्नीचर, उपस्करों इत्यादि जैसी सामान्य प्रकृति की सचल

मदों को अनुमति प्रदान करना, तथा मौजूदा सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की सचल मदों का विशेष रूप से निषेध करना था । इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण (जैसे- कैंसर उपचार हेतु लिनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर) की खरीद के पहलू को ध्यान में नहीं रखा गया था जिन्हें अनुबंध IV इ के मद संख्या IV 2 के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

7. इस प्रकार, दिशानिर्देशों के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों (दिनांक 03.07.2013 का परिपत्र तथा अनुबंध IV इ की मद सं. IV-2) के संबंधित आशय को ध्यान में रखते हुए एक ओर फर्नीचर, उपस्कर आदि जैसी सामान्य स्वरूप की सचल मदों (जिनका दिनांक 03.07.2013 के परिपत्र के तहत निषेध किया गया है) और दूसरी ओर विशिष्ट/विशेषीकृत अस्पताल/चिकित्सा मशीनों/उपस्करों (जिन्हें अनुबंध IV इ की मद संख्या IV 2 के तहत अनुमति प्रदान की गई है) के बीच सुस्पष्ट अंतर किए जाने की आवश्यकता है ।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 03.07.2013 के परिपत्र के अंतर्गत मौजूदा सरकारी अस्पतालों और औषधालयों में फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि (उदाहरणार्थ- टेबुल, कुर्सियां, शायिकाएं, चिकित्सा उपकरण, अल्पावधि गैर-टिकाऊ चिकित्सा उपकरण, इत्यादि) जैसी सामान्य स्वरूप की सचल मदों को प्रतिबंधित किया गया है, लेकिन इसके अंतर्गत अस्पताल/औषधालय के मुख्य चिकित्सा कार्य से सीधे संबंधित विशिष्ट/विशेषीकृत अस्पताल/चिकित्सा मशीनों/उपस्करों (उदाहरणार्थ -कैंसर उपचार के लिए लिनियर पार्टिकल एक्सीलरेटर, डायलिसिस मशीन, एक्स-रे मशीन, अल्ट्रा-साउण्ड मशीन, इत्यादि) के संबंध में कोई निषेध नहीं किया गया है ।

9. अतः एमपीलैड योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों/औषधालयों के लिए वैसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिनकी लागत पांच लाख रूपए से कम न हो ।

10. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

भवदीय,

(तपन मित्र)
निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, नोडल विभाग एमपीलैड्स से संबंधित, (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. एमपीलैड्स प्रभाग के सभी संबंधित अधिकारी ।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।